न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

अपील संख्या 41/2016

पीठासीन अधिकारी करतार सिंह पूनियाँ
RAS

1 रामकिशन पुत्र नौंरगराम जाति जाट निवासी धुमनसर कलां तहसील सुरजगढ़ जिला झुंझुनू।
2 बशेसर पुत्र गोपाल जाति जाट निवासी घुमनसर कलां तहसील सुरजगढ़ जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 अमीलाल पुत्र नौंरगराम।
2 महावीर पुत्र नौंरगराम।
3 प्रताप सिंह पुत्र दौलाराम।
4 हवासिंह पुत्र दौलाराम।
5 निहाल सिंह पुत्र दौलाराम।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

6 राजबीर पुत्र नौंरगराम।
7 उमरावती स्त्री नौंरगराम।
8 सुनिल पुत्र धर्मचन्द।
9 विनोद कुमारी पुत्री धर्मचन्द।
10 सुमन कुमारी पुत्री धर्मचन्द।
11 मुसली कुमारी पुत्री धर्मचन्द।
12 मीरा बेवा धर्मचन्द।
13 अणची बेवा गोपाल जाति समस्त जाट निवासी घुमनसर कलां तहसील सुरजगढ़ जिला झुंझुनू।
14 नेतराम पुत्र डालुराम जाति जाट निवासी घुमनसर कलां तहसील सुरजगढ़ जिला झुंझुनू।
15 राजस्थान सरकार भूमिधारी तहसीलदार सुरजगढ़ जिला झुंझुनू।

रेस्पोंडेन्ट

प्रथम अपील अ. धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अपील खिलाफ निर्णय दिनांक 12.05.2016 बअदालत उपखण्ड अधिकारी सुरजगढ़ मुकदमा उनवानी अमीलाल बनाम रामकिशन मु.नं.58/13

उपस्थित

1. श्री राजेश पूनियां अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री विजयपाल अधिवक्ता रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव

—निर्णय—

दिनांकः—30.10.2018

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुरजगढ़ द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या 58/2013 में पारित निर्णय दिनांक 12.05.2016 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में प्रार्थीगण रेस्पोडेंट संख्या 1 से 5 ने खसरा नम्बर 337 व 349 के खेतों में जाने के लिए खसरा नम्बर 353/1 एवं 353/2 में से दक्षिण दिशा में से व 351 के बीचों बीच रास्ते का अनुतोष 251ए के आवेदन में चाहा। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत हुई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त की पालना नही की है अपीलांट को पर्याप्त जवाब देही व साक्ष्य सबूत का अवसर नही दिया गया। रेस्पोडेंट के पास वैकल्पिक रास्ता मौजुद है इसके बावजुद विचारण न्यायालय में प्रार्थना पत्र स्वीकार करने में विधिक त्रुटि की है। तहसीलदार ने खसरा नम्बर 352 में से रास्ता होने पर कोई टिप्पणी नही दी है। अपील स्वीकार कर विचारण न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावें।

Lovi
भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि अपीलांट द्वारा जो ऐतराज किये गये है उनका खण्डन तहसीलदार की मौका रिपोर्ट से हो जाता है विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय द्वारा मौका रिपोर्ट प्राप्त कर समुचित सुनवाई के उपरान्त विचाराधीन निर्णय पारित किया है। अपीलांट द्वारा विचारण न्यायालय अथवा अपील न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किया है जिससे वैकल्पिक रास्ता होने की पुष्टि होती हो। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251ए में निर्धारित प्रावधानों की पालना कर विचाराधीन निर्णय पारित किया गया है इस धारा में संक्षिप्त कार्यवाही होती है। हम विचारण न्यायालय के निर्णय में कोई विधिक त्रुटि नही पाते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत प्रतीत होता है फलस्वरूप अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 30.10.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

30/X/18

(करतार सिंह पूनिया)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर